न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — भवानीसिंह पालावत आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 108/अपील/16 — तारीख दायरा 24.11.2016

गोपाल सिंह आ0 गबसिंह जाति राजपूत निवासी कचनारा तहसील गंगधार

————————————अपीलान्ट

बनाम

1. सूरत कंवर पुत्री गब सिंह पत्नि सुजान सिंह जाति राजपूत निवासी नल्ला तहसील बडोद जिला आगर (म0प्र0)।
2. सरेकंवर पुत्री गबसिंह पत्नि विक्रमसिंह जाति राजपूत निवीस मूंज तहसील आलोट जिला रतलाम (म0प्र0)।
3. जयकंवर पुत्री गब सिंह पत्नि दिलीप सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील गंगधार।
4. बालूसिंह आ0 गब सिंह जाति राजपूत निवासी कचनारा तहसील गंगधार ।
5. गोविन्द सिंह आ0 गब सिंह जाति राजपूत निवासी कचनारा तहसील गंगधार ।
6. कालूसिंह आ0 गब सिंह जाति राजपूत निवासी कचनारा तहसील गंगधार ।
7. विक्रमसिंह आ0 गब सिंह जाति राजपूत निवासी कचनारा तहसील गंगधार ।

————————————रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय तहसीलदार गंगधार दिनांक 18.10.2016, 09.11.16

उपस्थितः— 1. श्री ओकारेश्वर शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री तंवरसिंह झाला वकील रस्पोडेन्टस नं0 3की ओर से

—: निर्णयः— दिनांकः— 22.01.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार गंगधार के निर्णय दिनांक 18.10.2016 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कचनार तहसील गंगधार में खाता सं0 33 की 19 किता की रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा आराजी, खाता सं0 34 की 25 किता रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा, खाता सं0 147 की 5 किता रकबा 24 बीघा 16 बिस्वा, खाता संख्या 148 की 3 किता की 6 बीघा 2 बिस्वा, खाता सं0 149 की 2 किता की 3 बिस्वा, खाता संख्या 48 की 1 किता रकबा 4 बिस्वा, खाता संख्या 421 की 2 किता की 4 बीघा 3 बिस्वा, खाता संख्या 432 की 1 किता रकबा 4 बीघा आराजी मृतक खातदार गबसिंह आ0 बापूलाल के नाम दर्ज थी गब सिंह की मृत्यु होने के बाद ग्राम पंचायत कचनारा के द्वारा नामान्तकरण सं0 2064 दिनांक 05.09.14 खोला गया जिसमें मृतक खातेदार गबसिंह की पुत्रीयों के शपथ पत्र बाबत हक त्याग पर निर्णय किया गया और गब सिंह के पुत्रों अपीलान्ट ओर रेस्पा0 संख्या 4 लगायत 7 का नाम इन्तकाल खोला जाकर खाते में दर्ज किया

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

गया। रेस्पा0 कमांक 3 जयकुंवर नं0 ग्राम पंचायत कचनारा के इन्तकाल सं0 2064 से व्यथित होकर एक अपील उपखण्ड अधिकारी गंगधार के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें सुनवाई करते हुए उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने दिनांक 17.06.17 को इन्तकाल संख्या 2064 को रिमाण्ड कर नये सिरे से सुनवाई करने का ओदश दिया था तहसीलदार गंगधार ने अपील न्यायालय में प्राप्त होने के बाद दिनांक 18.10.2016, 09.11.16 में मृतक गबसिंह के पॉचों पुत्रों ओर तीनो पुत्रीयों के नाम इन्तकाल खोले जाने का आदेश किया है इस आदेश के नीचे तहसीलदार गंगधार द्वारा दिनांक 09.11.16 को हस्ताक्षर किये गये है तहसीलदार गंगधार ने इस तथ्य को ध्यान में नही रखा कि ग्राम पंचायत द्वारा तीनों पुत्रियों द्वारा हक त्याग के बाबत शपथ पत्र विचार किया गया था जिसको नजर अंदाज नही किया जा सकता तहसीलदार गंगधार द्वारा कानूनी भूल की गई हैं। अतः अपील अन्दर मियाद मानी जाकर तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016, 09.11.16 निरस्त किया जाकर ग्राम कचनारा का नामान्तकरण 2064 बदस्तूर रखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भी तलब की गई। रेस्पोंडेन्टस 3 की ओर से से वकील श्री तंवरसिंह झाला द्वारा वकालतनाम पेश किया गया, शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। बहस उभय पक्ष सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि गबसिंह की तीनों पुत्रियों ने ग्राम पंचायत के समक्ष हकत्याग कर दिया गया था इसलिये तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016, 09.11.16 निरस्त कर ग्राम पचांयत द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं0 2064 को यथावत रखा जावे। वकील रेस्पों0 नं0 3 द्वारा अपनी बहस मे अनुरोध किया कि गबसिंह की तीनों पुत्रियों द्वारा कोई लिखित दस्तावेजात ग्राम पंचायत के समक्ष हकत्याग हेतु प्रस्तुत नही किये गये थे, अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय 18.10.2016, 09.11.16 यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर पर गौर किया गया वकील अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य स्वरूप ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेजात हमारे समक्ष प्रस्तुत नही किय गये जिनसे साबित हो सके कि रेस्पो0 नं0 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष हकत्याग कर दिया गया था। इसलिये हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016, 09.11.16 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 22.01.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानीसिह पालावत)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड